P-1 | R.N.M. Law College - Saharsa. Manvendra Mandal, part time Lecturer | Subject - Contract-II Part - II

पत्नी अभिकर्ता के रूप में (Wife as a Agent)

पति पत्नी के मध्य स्थापित होने वाले अभिकरण के सम्बन्ध में हानबरी ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है - "जब तक लोग घरों में निवास करते रहेंगे तब-तक पत्नी घरेलु सामान खरीदा करेगी तथा पति मूल्य का भुगतान करता रहेगा। मालिक तथा अभिकर्ता सम्बन्धी विधि पति-पत्नी के रिश्ते में लागू होती रहेगी।" (दि प्रिन्सपुल्स ऑफ एजेन्सी 32, 1952)

उपरोक्त मत के अलावा मात्र वैवाहिक सम्बन्ध या साथ निवास करने से पत्नी पति की अभिकर्ता नहीं होती है। अभिकरण की उत्पत्ति अभिव्यक्त व विवक्षित सहमति (Implied consent) से होती है। इसी प्रकार पति-पत्नी के सम्बन्ध के कारण वह पत्नी द्वारा किये गये कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, लेकिन उस स्थिति में उत्तरदायी होता है जब पति ने उसके कार्यों के प्रति अपनी सहमति प्रदान कर दी हो या उसे अधिकृत किया हो। पत्नी अभिकर्ता की हैसियत प्राप्त कर सकती है, इसके लिए निम्न तत्वों का वर्तमान रहना आवश्यक है -

(I) जब पति व पत्नी साथ-साथ रह रहे हो, तो पत्नी को अभिकर्ता के रूप में घरेलु सामान खरीदने का पूर्ण अधिकार है।

(II) यदि पति के दोष के कारण पत्नी उससे अलग निवास करती है तो भी अभिकर्ता के रूप में वह आवश्यक वस्तुएं खरीद सकती है।

यदि पत्नी अपने दोष के कारण अलग निवास करती है तो किसी भी परिस्थिति में वह अभिकर्ता नहीं बन सकती।

(III) पति व पत्नी का साथ-साथ घरेलू स्थान पर रहना आवश्यक है इस संदर्भ में डेबेन होम

P-2 पत्नी अभिकर्ता के रूप में (wife as a Agent)

लाम मैलान का वाद उल्लेखनीय है इस वाद में पत्नी होटल की प्रबंधिका थी तथा पति भी होटल का प्रबन्धक था। होटल में ही दोनों साथ-साथ रहते थे। उन लोगों का कोई अलग घर नहीं था। पत्नी ने दुकानदार से कुछ कपड़ा उधार क्रय किया। उसके मूल्य के भुगतान के लिए न्यायालय ने पति को दायी नहीं ठहराया, क्योंकि दोनों घरेलु स्थान पर नहीं रहते थे।

लेकिन इसके विपरीत क्लेइस बनाम क्री के वाद में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब पुरुष और स्त्री, घरेलु स्थान पर साथ-साथ इस प्रकार रहते हों कि- कोई भी व्यक्ति यह उपधारणा कर सके कि वे पति-पत्नी हैं भले ही वह स्त्री रखैल ही क्यों न हो- तब भी उनके मध्य अभिकरण की उपधारणा की जायगी।

(iv) पत्नी केवल घरेलु वस्तुओं को ही क्रय करने का प्राधिकार रखती है। कौन सी वस्तुयें आवश्यकताओं के अन्तर्गत आती है, इसका निर्धारण पति के रहन-सहन, जीवन स्तर के आधार पर किया जाता है। वस्तुओं को उधार देने वाले व्यक्ति को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि प्रदाय की गई वस्तुएँ आवश्यक थी, अन्यथा पति भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(v) जब पति पत्नी का भरण-पोषण (Maintenance) नहीं करता, जिसे करने के लिए बाध्य है या उसकी आवश्यकताएँ (Necessaries) या उनके प्राप्त करने के साधन उपलब्ध नहीं कराता है तो पत्नी ऐसी आवश्यकताओं के लिए पति की साख (Credit) गिरवी रख सकती है

(vi) जब पति पत्नी की आवश्यकताओं के लिए नकद धन राशि दे देता है, तो पत्नी द्वारा उधार ली गई वस्तुओं का मूल्य देने के लिए पति बाध्य नहीं होगा। यह हो सकता है कि दुकानदार को इस बात का ज्ञान न रहा हो, इसलिए उधार दिया, लेकिन इसके बावजूद भी पत्नी अभिकर्ता के रूप में नहीं मानी जायगी।

Scanned with CamScanner